



कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, कैमूर (भमुआ)

शिक्षा भवन, समाहरणालय रोड, भमुआ

Email-ssakaimur@gmail.com, Website-bepkaimur.org, Mob. No. 8544411412

पत्रांक: VIII/RTE/ 2017-18/48-1241 दिनांक:- 15/6/21



प्रेषक :-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान,
कैमूर (भमुआ)।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

ईफा पब्लिक स्कूल, जंगलछेरा(महुअर), रामगढ़।

विषय :- बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय के प्रस्वीकृति अवधि को विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-495/SSA दिनांक 13.05.2015 के द्वारा आपके विद्यालय को प्रस्वीकृति दी गई थी। जिसकी प्रस्वीकृति संख्या-051/2015 है पुनः अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-SSA/468 दिनांक-13.06.2018 के द्वारा प्रस्वीकृति अवधि विस्तार 12.05.2021 तक किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष प्रस्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त अगले तीन वर्ष के लिए भूतलक्षी प्रभाव से प्रस्वीकृति अवधि विस्तार दिनांक-12.05.2024 तक की जाती है। प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों के निबंधन किए जाने की स्थिति में प्रस्वीकृति समाप्त की जाएगी।

नोट- निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक-विविध-42/2017-1422 दिनांक-22.10.2019 में अंकित किया गया है कि भारत सरकार के पत्रांक-17-2/2017 EE,17 दिनांक-03.08.2017 के आलोक में सूचित किया गया था कि संसद द्वारा RTE की धारा 23 की उपधारा 2 में संशोधन करते हुए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, अर्थात् 31.03.2019 तक सभी राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक को प्रारम्भिक स्तरीय प्रशिक्षण D.El Ed प्रदान कर दिया जाना है, अर्थात् 31.03.2019 के पश्चात सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित ही होंगे।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

समग्र शिक्षा अभियान, कैमूर (भमुआ)

15/6/21